

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Ghaziabad Development Authority

गाजियाबाद के विकसित क्षेत्रों में
बहु-उद्देशीय भूखण्डों एवं आवासीय भवनों
का निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से
आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF MULTIPURPOSE PLOTS AN RESIDENTIAL FLATS THROUGH TENDER-CUM-AUCTION IN THE DEVELOPMENT AREA OF GHAZIABAD

1. पात्रता :

- (i) व्यवसायिक भूखण्ड, कन्वीनियन्ट शॉपिंग भूखण्ड, समुदायिक केन्द्र भूखण्ड, कियोस्क भूखण्ड, आर्ट गैलरी भूखण्ड, आवासीय भूखण्ड, दुकान भूखण्ड तथा आवासीय भवन, दुकान, हॉल एवं अन्य हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक व्यक्तित्व हो, आवंटन हेतु प्रस्तावित नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (ii) पेट्रोल पम्प भूखण्डों हेतु केवल पेट्रोलियम कम्पनी एवं उनके अधिकृत लाइसेंस होल्डर (लेटर ऑफ इन्टेंट होल्डर) नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (iii) हॉस्पिटल /नर्सिंग होम भूखण्ड की नीलामी हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक अथवा हॉस्पिटल संचालित करने हेतु गठित कम्पनी/सोसायटी/फर्म आवेदन के साथ/आवंटन के पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) फार्मा एवं इण्डस्ट्रीज भूखण्डों हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण से पूर्व प्राप्त करना होगा।
- (v) शैक्षिक/चिकित्सा संस्थानों के भूखण्डों को 90 वर्ष की लीज, बहुमजिले आवासीय भवन 90 वर्ष तथा अवशेष भूखण्डों/सम्पत्तियों फ्री-होल्ड आधार पर विक्रय किये जायेंगे। फ्री-होल्ड अधिकार निस्तारण के समय प्रभावी निर्माण उपविधि तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कन्ट्रोल डिजाईन व तालिका में अंकित भू-आच्छादन एवं एफओआर के अधीन होगा।
- (vi) आवेदक/बोलीदाता को आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ-पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि यह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।
- (vii) प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वॉइन्ट हिन्दू फैमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर भूखण्ड का विक्रय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्तिगत रूप में निष्पादित किया जायेगा। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियों नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत है। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
- (viii) शासनादेश सं० 378/9-आ-1-सम्पत्तियाँ/आ.ब./2000 आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20.06.2001 के अनुसार किसी भी बोली में कम से कम दो बोलीदाता होंगे। विशेष परिस्थितियों में एक बोलीदाता की बिड पर भी विचार किया जा सकता है परन्तु इसके लिए उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रसंगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगाई गयी है तथा कितनी बोली आयी थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा क्या अच्छाई है करने बाद भी विषय उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों/भवनों का विवरण तालिका के अनुसार।

1. WHO CAN APPLY:

- (i) Commercial plot, convenient shopping plot, community centre plot, kiosk plot, art gallery plot, residential plot shop plot and residential building, shop hall and any other person/organization having legal personality can participate in the proposed auction for allotment.
- (ii) Only petroleum Companies and their authorized license holders (Letter of intent holder) can participate in the auction Petrol pump Plots.
- (iii) For the auction of hospital/nursing home plot, a doctor recognized by the the Medical Council of India or Company Society/ Firm set up to operate the hospital can only apply for allotment.
- (iv) For pharma and industries plots, Pollution control board's no objection certificate will have to be obtained before construction.
- (v) Plots of education/medical institution will be sold on lease for 90 years, multistoreyed residential buildings for 90 years and remaining plots/properties on free hold basis. The free hold rights will be subject to the construction bye-laws effective at the time of disposal and the ground coverage and FAR mentioned in the control design and table prescribed by the Ghaziabad Development Authority.
- (vi) The Applicant/Bidder shall attach a notarized affidavit on the format attached in the prospectus along with the application form to the effect that his/her capacity is such that he/she is capable of making the requisite payment as a result of allotment of the property if the bid successful.
- (vii) The properties will not be sold in the name of proposed companies, unregistered firms and Joint Hindu families. If found so, the sale deed of the plot will be executed personally in favor of the person/persons. Firm/companies registered under the Indian Companies Act or any other Act are eligible to participate in the auction. The sale deed of the plot will be executed in favor of the said firm companies. Change of name of the firm/company will not be permitted once allotment is made.
- (viii) According to Government Order 378/9-AA-1-Sampatiya/aa.b./2000 housing section1 Lucknow dated 20.06.2001, there shall be least two bidders in any bid. Under special circumstances, a bidder's bid can also be considered, under special circumstances analysis has to be made as to how many times the property has been put to auction, what are the defects in property and what bid amount has come in the previous bid process after that report will be forwarded to Vice Chairman who will be the final authority. The details of the plots/building offered for auction are as per the table.

Details of plots/Flats proposed for auction are given in the Table Annexed



2. पंजीकरण :

किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देव एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ नीलामी स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराकर टोकन प्राप्त कर लेगा। आवेदन पत्र एवं विवरण पुरितका गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं किन्तु डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में रु० 1100.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही वैध/मान्य होगा।

आवेदन पत्र रु. 1100.00 के भुगतान पर जनसम्पर्क कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. नीलामी प्रक्रिया :

- बोलीदाता/निविदादाता को विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित करते हुए निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा करना होगा, जिसके पूर्ण/सही पाये जाने पर बोली में भाग लेने हेतु टोकन जारी किया जायेगा।
- उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी भूखण्डों अथवा किसी भी एक भूखण्ड की नीलामी जनहित/प्राधिकरण हित में रथगित कर सकते हैं।
- भूखण्ड की नीलामी आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।
- भूखण्डों का आवंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जायेगा। नीलामी में जो सर्वोच्च दर प्राप्त होगी उनमें प्राप्त दरों का 12 प्रतिशत लीज रेंट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर भूखण्ड/सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार लीज रेंट व फ्रीहोल्ड चार्ज मूल्य के साथ-साथ देय होगा। बहुमंजिले भवनों के प्रकरण में केवल 10% लीज रेंट जोड़कर भवन का मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा भवन लीज पर ही आबंटित किये जायेंगे।
- कार्नेर के भूखण्डों/सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत कार्नेर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
- जिस बोलीदाता द्वारा भूखण्ड/भवन की बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात रु 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रु 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में आवंटन पत्र की तिथि से एक महीने के भीतर जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा धनराशि जमा करने में असफल होने

2. REGISTRATION FOR BIDDING:

Any Person/Firm/Institution/Company will be allowed to participate in the bid only if it has a bank draft/Pay-order earnest money prescribed in the table, payable in favor of the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority and payable at Ghaziabad. will auction date from 10.00 AM to 12.00 AM earnest money as per table and gets the token for participating in the auction by filling an application form duly signed and submitted at the token counter and obtaining a token. Prospectus and application form can be downloaded from the website of Ghaziabad Development Authority i.e. www.gdaghaziabad.com. But it would be acceptable when a demand draft for Rs. 1100/- in favour of Vice Chairman Ghaziabad Development Authority is enclosed with it.

Application forms can be obtained Public Information Office, Ghaziabad Development Authority, Vikas Path, Ghaziabad on payment of Rs. 1100/- only any working day.

3. AUCTION PROCESS :

- Bidders are advised to furnish all the information completely in application form along with attested photograph and enclosing the Bank Draft of earnest money on the auction date from 10.00 AM to 12.00 AM. The token for participation in auction will be issued after submitting with the completed application form.
- The Vice Chairman/ Auction officer can postpone the auction of all the plots or any other plot in public interest at the time of auction.
- The auction of the plot will be started more than the reserve rate. The minimum difference between the two bid will be informed at the time of auction.
- Allotment of plots will be done on freehold basis. The value of the plot / property will be determined by adding 12% lease rent & freehold charge to the highest rates received in auction, Thus lease rent & freehold charge will be payable along with the cost. In the case of multistory buildings, the value of the building will be determined by adding only 10 % lease rent & the buildings will be allotted on lease only.
- 10% corner charge will be extra payable on corner plots/properties.
- The bidder who bids for the plot/building will not have the right to withdraw his bid.
- 25% of the total bid value (adjusting the EMD) will be paid to the highest bidder at the fall of hammer within 1 week after the date of auction in case of property with reserved price upto Rs.5 Crore & in case of property with reserve price above 5 crore, it will have to be deposited within 1 month. If the bidder fails to deposit the amount, the plot/building will be cancelled by forfeiting the earnest money. The auction officer will present his recommendation to the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority for accepting/ rejecting the bid of the plot/building through the auction committee on the highest bid received at the fall of hammer.



- पर धरोहर राशि जब करते हुए मूखण्ड/भवन को निरस्त कर दिया जायेगा। नीलामी अधिकारी फॉल ऑफ हैमर पर प्राप्त उच्चतम बोली को नीलामी समिति के माध्यम से मूखण्ड/भवन की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (viii) जो व्यक्ति/संस्था खुली नीलामी में सम्मिलित भाग न होकर सम्पत्ति की अपनी बोली निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र को विवरण पुस्तिका में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार भरेंगे। आवेदक/निविदादाता हस्ताक्षरित निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय तथा पासपोर्ट आकार के सत्यापित फोटो के साथ लिफाफे को सील करके प्राधिकरण सभागार में रखी गयी सील बन्द निविदा-पेटी में नीलामी की निर्धारित तिथि को पूरान्द 11.30 बजे तक डालेगा। इसके उपरान्त सील बन्द निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फोटो का सत्यापन करने हेतु राजपत्रित अधिकारी/नोटरी बैंक अधिकारी सक्षम होंगे।
- (ix) निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो निविदा फॉर्म के साथ सीलबन्द लिफाफे के ऊपर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी दशा में चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (x) सील बन्द बिड के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में योजना का नाम, आवेदित मूखण्ड/भवन संख्या एवं आवेदक का नाम य पता अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा सील बन्द बिड खोली नहीं जायेगी।
- (xi) यदि कोई निविदा अपूर्ण यथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट, सत्यापित फोटो हस्ताक्षर अथवा वांछित प्रपत्रों के बिना होगी तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदाओं/बोलियों जिसमें उच्चतम निविदा/बोली भी सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर दें।
- (xii) यदि आवेदक की निविदा/बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (xiii) योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
- (xiv) मूखण्ड सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। आरक्षित दर अथवा उससे अधिक मूल्य अंकित करने पर ही आवेदक आवंटन के लिए अर्ह माना जायेगा।
- (xv) आवेदक को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जा सकता है। अंकों तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।
- (xvi) नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने तथा बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार/अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी बोलीदाता को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
- (viii) Those persons/organisations who want to submit their bid/tender of the property without participating in open auction, will fill the prescribed tender/bid forms as per the instructions available in the details booklet Applicant /Tendered signed Tendered/Bank Draft of prescribed earnest money along with the bid forming favor of Vice Chairman Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad and seal the envelope with passport size attested photograph and keep it in the sealed tender box in the authority auditorium before 11:30am on the scheduled date of auction Will put till o'clock. After this the sealed tender will not be accepted. To verify the photo. Gazetted officer/Notary Bank officer will be competent.
- (ix) Bank cheque for required prescribed earnest money along with the tender/bid form payable in favour of Ghaziabad Development Authority, Draft/Banker's Ghaziabad will have to be attached with the bid form on top of the sealed envelope along with the tender form. Cheques will not be accepted under any circumstances.
- (x) it will be necessary to mention the name of the scheme, applied plot/building number and name and address of the applicant In clear letters on the envelope o the sealed bid. Otherwise the sealed bid will not be opened.
- (xi) If any tender is incomplete like EMD bank draft, attested photo signature or without required documents, it will not be considered. The Vice Chairman of the Authority shall have full right any or all the tenders/bids including the highest tender/bid without assigning any reason.
- (xii) If the applicant's tender/bid is cancelled or rejected the earnest money will be returned without interest.
- (xiii) No preference will be given in allotment to any particular class or person under the scheme.
- (xiv) The reserve price of the plot properties is fixed per square meter. The applicant will be considered eligible for allotment only if the reserve price is quoted or more.
- (xv) It will be mandatory for the applicant to write the tender rate in figures and words, otherwise the tender may be rejected. In case of difference between the tender rate in figures and words, the tender rate written in words will be valid.
- (xvi) The full authority/final decision to accept or not accept the recommendations of the auction committee and to accept or not accept the bidder's bid will be of the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority. No bidder will have the right to object to the decision of the Vice-Chairman.



(xvii) भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है। यदि 10 प्रतिशत तक क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसे आवंटी को प्रत्येक दश में मान्य होगा। 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल बढ़ने पर आवंटी को विकल्प होगा कि वह भूखण्ड क्रय करे अथवा जमा सम्पूर्ण धनराशि बिना कटौती एवं ब्याज के वापस ले ले। क्रय करने की स्थिति में 10 प्रतिशत भूमि नीलामी दर पर एवं शेष भूमि नीलामी दर तत्समय प्रभावी सेक्टर रेट जो भी अधिक हो की दर से देय होगा।

(xxiii) आवंटी द्वारा भूखण्ड/भवन को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु आवंटी को भूखण्ड/भवन को बन्धक रखने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से बन्धक अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।

(xix) कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु अर्थांरिटी लैटर भी संलग्न करना होगा।

(xx) यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xxi) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति "जहाँ है-जैसा है" के आधार पर नीलाम की जायेगी।

4. आवंटन प्रक्रिया:

(i) आवंटन निविदा तथा बोली दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा। सर्वप्रथम नीलामी हेतु खुली बोली सम्पन्न की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा खोली जायेगी, खुली नीलामी के अर्न्तगत प्राप्त उच्चतम बोली एवं निविदा पेट्री में प्राप्त सीलड निविदा की दर जो भी उच्च होगी, उसी की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिना ब्याज के मूल रूप में वापस कर दिये जायेंगे। सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि भूखण्ड/सम्पत्ति के मूल्य में समयोजित कर ली जायेगी।

(iii) सफल आवेदक को आवंटन-पत्र पंजीकृत डाक ए.डी. के साथ अथवा प्रोसेस सर्वर द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(iv) आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता/आवंटी द्वारा उच्चतम स्वीकृत मूल्य की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जायेगी। उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी (बैंक स्वीकार्य नहीं होगी)।

(xvii) The area of plots is approximate. If the area increases upto 10 percent, it will be accepted by the allottee in any case. If the area increases by more than 10 percent the allottee will have the option to buy the plot or take back the entire amount deposited will have the option to buy the plot or tack back the entire amount deposited without any deduction and interest. In case of purchase, 10 percent land will be paid at the auction rate and the remaining land paid at auction rate or at the rate of the then effective sector rate, whichever is higher.

(xxiii) The Ghaziabad Development Authority will have no objection to the allottee obtaining the loan by mortgaging the plot/building, But the allottee will have to obtain mortgage permission from the Ghaziabad Development Authority for mortgage of the plot/building. The expenses in the process of mortgage will have to be borne by the allottee.

(xix) On applying by the company/society/firm. It is necessary to attach the memorandum of articles and resolution letter to the applicant with the application form. The bidder should also enclose the authority letter to participate in the auction.

(xx) If an applicant authorizes his representative in this behalf without participating in the bid himself, he will have to submit an authorization letter on the format attached in the prospectus.

(xxi) Applicants are advised to inspect the property before participating in the auction, and inform about any process related to the auction before the start of the auction. No objection will be considered at the time of auction or after the auction, The Ghaziabad Development Authority will not be responsible for additional improvement/development authority of the auctioned property. The property will be auctioned "as is where is" basis.

4. ALLOTMENT PROCESS :

(i) Allotment will done on the highest rate obtained in both tender and bid. First open bid will be conducted for auction, after that tender will be opened, the highest bid received under open auction and the rate of sealed tender received in the tender box, whichever is higher, will be considered for acceptance.

(ii) After the auction is over, except the earnest money of the highest tender/bidder, the bank draft/banker's Check of the remaining applicants will be returned in original without interest. The earnest money of the highest tender/bidder will be adjusted in the price of the plot/property.

(iii) Allotment letter to the successful applicant by registered post A.D. will be sent along with or through the process server.

(iv) According to the instructions mentioned in the allotment letter, the remaining 25% amount of the highest accepted price will be deposited by the successful bidder allottee. No extension of time will be given for the payment of the said amount (cheques will not be accepted).



5. भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:

- (i) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (घरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रु 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रु 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में आक्टन पत्र की तिथि से एक माह के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर घरोहर राशि जब करते हुए नवन/मूखण्ड की बोली निरस्त कर दी जायेगी।
- (ii) उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता जिसकी बोली/निविदा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशिका भुगतान प्लान-ए अथवा प्लान-बी द्वारा निम्नानुसार करना होगा :-

(प्लान-ए)

- (ए-1) नीलामी से पूर्व निर्धारित घरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर - तालिका संलग्न के अनुसार।
- (ए-2) फॉल ऑफ हैमर पर-कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (घरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतमबोली दाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रु 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रु 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एकमाह के भीतर जमा करानी होगी।
- (ए-3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि-आक्टन-पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर बिना ब्याज के। 60 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर आक्टन पत्र जारी होने की तिथि से आवासीय सम्पत्तियों पर 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व अन्य सम्पत्तियों पर 14.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

(प्लान-बी)

- (बी-1) नीलामी से पूर्व निर्धारित घरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर - तालिका संलग्न के अनुसार।
- (बी-2) फॉल ऑफ हैमर पर-कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (घरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रु 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रु 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। इसमें कोई अनुग्रह अवधि देय नहीं होगी।
- (बी-3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि-आक्टन-पत्र की तिथि से (5 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्तियों) को 10 छमाही किस्तों में एवं (5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों) को 14 छमाही किस्तों में आवासीय सम्पत्तियों पर साधारण ब्याज दर 10.50 प्रतिशत तथा अन्य सम्पत्तियों पर साधारण ब्याज 11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। रु. 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का कब्जा आवंट को देने के उपरान्त प्राधिकरण एवं आवंट के मध्य एसको एकाउन्ट को खोला जायेगा। यदि आवंट द्वारा तीन किस्तें निरन्तर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम एवं अंतिम नोटिस निर्गत कर किस्तें जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। नोटिस निर्गत के एक माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं की जाती तो पंजीकरण/आक्टन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

5. MODE OF PAYMENT AND POSSESSION:

- (i) 25% of the total bid amount (including earnest money) to the highest bidder at the fall of hammer within one week after the date of auction in case of property with reserve price upto Rs. 5 Crore and in case of property with reserve price above Rs. 5 crore must be submitted within one month. In case of failure to deposit the amount, the bid for the building/plot will be cancelled by forfeiting the earnest money.
- (ii) The highest bidder, whose bid has been accepted by Vice Chairman of Ghaziabad Development Authority will have to pay the remaining amount through plan-A or Plan-B as follows.

Plan-A

- (a-1) Bank draft of EMD fixed before auction/ (a-1) Earn pay Order - As per table attached
- (a-2) 25% of the total bid price (including lease rent and free hold surcharge) at the fall of hammer (adjusting the EMD) to the highest bidder at the fall of hammer after the date of auction, the deposit will have to be made within a week and in case of reserve price of more than Rs. 5 crore, within one month
- (a-3) Remaining 75% amount without interest 60 days from the date of allotment letter. If payment is not made Within 60 days, from the date of issue of allotment letter, 13.50 percent per annum interest will be payable on residential properties and 14.00 percent per annum penal interest on other properties.

Plan-B

- (b-1) Bank draft/pay order for the EMD fixed before auction - as per table attached.
- (b-2) 25% of the total bid value (including 12% Lease rent & additional Free hold Surcharge) at the fall of hammer (adjusting the EMD) to the highest bidder at the fall of hammer after the date of auction up to reserve price of property Rs. 5 crores, it will have to be deposited within one week and in cases of reserve price property above 5 crore, within one month. No grace period will be given in this.
- (b-3) Remaining 75% amount from the date of allotment letter in 10 half-yearly installment (for properties worth less than 5 crores) and in 14 half-yearly installment for (properties worth more than 5 crores) simple interest rate. on residential properties 10.50 simple interest on percent and other properties will have to be paid along with (b) 11.00 percent annual simple interest. After handing over the possession of properties worth more than 5.00 crores to the allottee, an escrow account will be opened between the Authority and the allottee if three installments are not deposited continuously by the allottee, a request will be made to deposit the installments by issuing first and last notice. If the amount is not deposited within one month of issue of notice, the authority will have the right to cancel the registration/allotment.



- (iii) प्लान-बी के अन्तर्गत किस्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किस्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक आवासीय सम्पत्तियों पर 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व अन्य सम्पत्तियों पर 14.00 प्रतिशत की दर से पैनल ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित देय तिथि से 03 माह के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूखण्ड/भवन का आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (iv) आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य रु 50.00 लाख से अधिक है तो आवंटि को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी डी एस कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALG0072C में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- (v) यदि आवंटि प्लान-ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटि द्वारा सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटि प्लान-बी स्वीकार करता है तो आवंटि को भूखण्ड का कब्जा कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटि प्राधिकरण के भवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटि को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा, परन्तु प्लान बी की स्थिति में प्राधिकरण से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विक्रय की गयी सम्पत्ति (भवन) आदि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (vi) बहुमंजिले भवनों का आवंटन लीज होल्ड आधार पर किया जायेगा।
- (vii) यदि आवंटि द्वारा भुगतान प्लान बी का घयन किया जाता है, परन्तु वह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य जमा कर देता है तो आवंटि द्वारा पूर्व में घयन किया गया प्लान बी स्वतः ही प्लान ए में परिवर्तित हो जायेगा।
- 6. विक्रय-विलेख की शर्तः**
- (i) आवंटि को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटित भूखण्ड/सम्पत्ति का प्रत्येक दश में एक माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा तथा भूखण्ड/सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान की तिथि से एक माह के अन्दर विक्रय विलेख/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) उक्त सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटि के रूप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटि के पक्ष में
- (iii) A grace period of 29 days will be allowed after the due date of installment under plan-B. At the end of the grace period, from the due date of the installment till the date of payment, 13.50 % annual penal interest will be payable on residential properties and 14.00 % on other properties. If the amount is not paid within 03 months from the stipulated due date, the allotment of the plot/building will be cancelled and the remaining amount will be returned without interest after confiscating the earnest money and deducting the interest on the defaulted amount.
- (iv) According to the notification of the Income Tax Department, If the value of the allotted property is more than 50.00 Lakhs, then the allottee will have to deduct one percent TDS from the payable amount and deposit the certificate in the Permanent Account Number (PAN) of the Authority AAALG0072C.
- (v) If the allottee accepts Plan-A, then the possession of the plot will be done after the allottee deposits the entire due amount after getting the registered Foie deed executed. If the allottee accepts Plan-B, then the possession of the Plot will be given to the allottee after depositing 25 percent of the total bid price (including 12 Percent lease rent and freehold surcharge) after getting the registered agreement deed executed. After getting the possession of the plot as mentioned above, the allottee can start construction on the plot after getting the map approved from the auth0. as Per the building construction bye-laws of the authority. The allottee will have the sight to publish the plan on the plot at his own risk and expense, but in case of Plan EI, he wilt not have the right to transfer the sold property 'building] etc. to any buyer before the authority executes the sale deed. ,
- (vi) Allotment of Multi-storybuilding will be done on lease hold basis
- (vii) If the payment plan B is selected by the allottee, but he deposits the entire cost of the property within 60 days from the date of issue of the allotment letter, then the plan B previously selected by the allottee will be automatically converted into Plan A
- 6. CONDIIONES OF SALE DEED :**
- (i) After depositing 25 percent amount, it will mandatory for the allottee to execute the agreement deed of the allotted plot/property within one month at his own expense on the Prescribed form by the authority. It will. mandatory to get the sale deed/lease deed executed on the prescribed form by the Authority within one month from the date of final payment of the plot/property
- (ii) After depositing 25 percent amount, it will mandatory for the allottee to execute the agreement deed of the allotted plot/property within one month at



- निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विक्रय विलेख/लीज डीड के आधार पर होंगी।
- (iii) भूखण्ड पर भवन का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग मास्टर प्लान एवं विक्रय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का उपयोग ब्रोशर में अंकित तालिका एवं समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित है।
- (v) आवंटी को भूखण्ड को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
- (vi) आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त नियमों, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारत किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (vii) भूखण्ड/भवन की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू-राजस्व की भौति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।
- (viii) किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भूखण्ड आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
- (ix) आर डी सी राजनगर में क्योरस्क भूखण्ड पर मात्र भूतल पर भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर आच्छादन अनुमत्य है। प्रथम तल पर निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
- (x) भूखण्ड/भवन पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध विधिसम्मत नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वरतीकरण/सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।
- (xi) निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भूखण्ड की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भूखण्ड/भवन पर आन्तरिक विकास कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।
- (xii) भूखण्ड/भवन का आवंटन "जहाँ है-जैसा है" के आधार पर होगा एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी "जहाँ है-जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (xiii) यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड/भवन का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।
- (xiv) व्यावसायिक, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, दुकान भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड, गुप हाउसिंग भूखण्ड एवं आवासीय भूमि पर निर्माण हेतु अनुबन्ध विलेख/विक्रय-विलेख की तिथि से 05 वर्ष की निर्माण अवधि प्रदान की जायेगी। आवंटी को निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन कर प्राधिकरण से भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- his own expense on the Prescribed form by the authority. It will. mandatory to get the sale deed/lease deed executed on the prescribed form by the Authority within one month from the date of final payment of the plot/property
- (iii) The construction of the building on the plot will be done according to the Plan approved by Ghaziabad Development Authority.
- (iv) The plot and the building constructed on the plot shall not be used for any purpose other than the use specified in the master plan and sale deed. The use of the plots advertisement published in the newspaper.
- (v) The allottee shall not have the right to sub-divide the plot and merge it with any other plot.
- (vi) From the date of issue of possession letter to the allottee, all municipal taxes applicable from time to time and all other taxes which may be levied by the Government or thy local body under the rules, bye-laws or bye-laws In force from time to time, he himself will be responsible for making the payment.
- (vii) On knowing that the plot has been allotted by concealing any kind of wrong information or facts or on violation of any terms and conditions, the allotment of the plot will be cancelled and possession of the plot and the building constructed on it will be taken back by the authority for which no compensation will be given to the allottee. In such cases, 25 percent of the total cost of the plot will not be returned to the allottee under any circumstances.
- (ix) In Kiosk plot in RDC Rajnagar, coverage equal to the area of the Plot is Permissible only on the ground floor Construction will not be permitted on first floor.
- (x) No unauthorized construction will be done on the plot/building. If unauthorized construction is found, action will be taken against unauth- orized construction for demolition/ sealing etc. under the legal rules and relevant sections.
- (xi) Water Supply, sewer, drainage and electricity supply lines will be provided by the authority up to the boundary of the plot as per the prescribed specifications/standards. The internal development work on plot/ building will have to be done by the allottee himself.
- (xii) The allotment of the plot/building will be on "as is where" basis and the allottee will be given the possession of the plot on "as is where is" basis, on objection will be accepted latter.
- (xiii) If for any reason the authority is not able to give possession of the plot/building then the entire amount deposited by the allottee will be returned with simple interest as per rules.



- (xiv) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटि को अपने खर्च पर लेने होंगे।
- (xv) आवंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि सेवाकर की देयता बनती है तो सेवाकर की धनराशि आवंटि द्वारा अतिरिक्त देय होगी।
- (xvi) बहुमजिले भवनों में छत के ऊपर के तल को बेचने या बनाने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। आवंटि को भवन की छत का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
- 7. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क:**
भूखण्ड का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख/विक्रय-विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटि द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटि द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।
- 8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:**
- (i) नीलामी, आवंटन, मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ii) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल गाजियाबाद न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।
- (iii) यदि आवंटि निर्धारित देय तिथि को भूखण्ड/भवन का कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो निर्धारित देय तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारी शुल्क आवंटि द्वारा देय होगा।
- (iv) 3080 शासन/मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकार बढोतरी के सम्बन्ध में यदि कोई आदेश पारित किये जाते हैं तो उस भूखण्ड के आवंटि को भी प्रतिकार/परिवर्तित मूल्य देना होगा।
- समर्पण एवं निरस्तीकरण:**
- 9. भूखण्ड/भवन का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी-**
- (i) यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा फॉल ऑफ हैमर के उपरान्त फ्रीहोल्ड निर्धारित अवधि में कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (ii) किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (iii) यदि आवंटि द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए धारा-9 (ii) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड को नीलामी में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।
- (iv) सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।
- (v) नीलामी से सम्बन्धित सम्पत्तियों की सूची प्राधिकरण के सम्पर्क कार्यालय एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.in पर उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

- (xiv) For construction on commercial, convenient shopping shop plot, nursing home plot, group housing plot and residential land, construction period of 05 years will be given from the date of contract deed/sale deed. After completing the construction, the allottee will have to apply for the completion certificate of the building otherwise non construction fee will be payable. It will be mandatory to get plan approved for construction.
- (xv) Electricity and water etc connection will have to be taken by allottee himself at his own cost.
- (xvi) If any liability of service tax arises on the allotted property in future, the amount of service tax shall be payable additional by the allottee.
- (xvii) The authority shall have the right to sell or construct the floor above the roof in multi-storeyed building. The allottee will not have any right on the roof of the building
- 7. STAMP AND OTHER CHARGES:**
Stamp duty, registration fee and any other charges will be borne by the allottee for getting the registered agreement deed/sale deed executed for the plot. The allottee himself will have to pay the charges for transfer of the immovable property to the State Government, Municipal Corporation or any other charges which may be levied by any competent authority.
- 8. OTHER IMPORTANT TERMS:**
- (i) In case of any dispute related to auction, allotment, map approval, construction etc., the decision of Vice Chairman Ghaziabad Development Authority will be final and valid.
- (ii) In case of any dispute only Ghaziabad court will have jurisdiction.
- (iii) If the allottee does not receive the possession of the plot/building on the due date, then from the due date the allottee shall be liable to pay the chowkidari fee at the rate prescribed by the authority.
- (iv) If any order is passed by the Uttar Pradesh government honorable court in relation to increase in compensation then that plot allottee will also have to pay compensation/changed price.
- 9. CANCELLATION AND SURRENDER:**
Surrender/cancellation of plot/building is done on the basis of violation of terms and conditions, then deduction will be made as follows:-
- (i) If the highest bidder does not deposit 25% of the total bid price (including 12% lease rent and freehold surcharge extra) within the stipulated time after the fall of hammer adjourning the EMD, then his EMD will be forfeited, be confiscated.
- (ii) In case of any surrender/cancellation, the balance amount will be returned without interest after forfeiting the EMD and deducting the interest, if any, on the defaulted amount.
- (iii) If the remaining 75 % amount is not deposited by the allottee within the prescribed dates, the allotment of the plot will be cancelled and deduction will be made as per Section-9 (ii) and after cancellation the plot will be offered in auction.
- (iv) All refunds will be returned without any interest.
- (v) The list of properties related to auction is available at the Authority's contract office and Ghaziabad Development Authority's website www.gdaghaziabad.in

VICE CHAIRMAN
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
नीलामी मे बोली लगाये जाने हेतु
अधिकृत आवेदन-पत्र

सेवा मे,
नीलामी अधिकारी,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सत्यापित फोटो

महोदय,

मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांकको नीलाम किये
जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या..... योजना.....
गाजियाबाद की नीलामी मे भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणो वंश मे उक्त नीलामी मे स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी मे भाग लेने हेतु मैं
श्री/कु./श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

आयु वर्ष (लगभग) निवासी

को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हे, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत
प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रमाणित

नाम:

पता:

शपथ-पत्र

समक्ष:
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

सत्यापित फोटो

मैं

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

जन्म तिथि..... आयु..... वर्ष (लगभग)

निवासी

निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सही हैं।
2. कि मैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक.....को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या..... योजना..... गाजियाबाद की नीलामी मे बोली दाता के रुप मे प्रतिभाग कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि मैं बोली सफल होने पर सम्पत्ति आंवटन के फलस्वरुप अपेक्षित भुगतान करने मे सक्षम हूँ।
यह उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान और विश्वास मे सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं हैं कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(शपथ पत्र रु 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में (2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की) सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन-पत्र
Application Form for Allotment of Plots in various Schemes of GDA by Auction

आवेदन पत्र संख्या :
Application Form No.

(नीलामी/बोली हेतु आवेदन पत्र)

राजपत्रित
अधिकारी / नोटरी
पब्लिक द्वारा
सत्यापित फोटो

Paste a passport size
photo attested by
Gazetted Officer/
Public Notary

- आवेदक का नाम:
Name of the Applicant (in Block Letters)
- पिता/पति का नाम:
Father/Husband Name:
- यदि निविदा स्वयं या कम्पनी/सोसाइटी/फर्म या ट्रस्ट द्वारा दी जा रही है।
Whether bid is offered for self or company of society or firm or trust etc.
ए यदि निविदा कम्पनी/सोसाइटी/फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी/सोसाइटी/फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं निविदा दिये जाने हेतु एथोरिटी लेटर एवं बोर्ड रिजोल्यूशन भी तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
(a) If tender is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company, society, firm or trust authorization letter and board resolution for submitting the tender should be submitted along with technical bid.
बी यदि निविदा कम्पनी/सोसाइटी/फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी/सोसाइटी/फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण-पत्र भी साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
(b) If the tender is for company or society or firm or trust its registration certificate should be produced
- उम्र:
Age :
- पूरा पता:
Full Address:
ए. स्थायी पता:
(a) Permanent Address :
बी. पत्र-व्यवहार का पता:
(b) Correspondence Address
सी. टेली फोन नं०: मोबाईल नं०: ई-मेल :
Telephone No. : Mobile No. : E-mail :
- व्यवसाय:
Occupation : Mobile No.:
- भुगतान प्लान का विकल्प (प्लान ए अथवा प्लान बी)
Payment of the Plan adopted :
- आवेदित भूखण्ड का विवरण
Particulars of Property
ए. सम्पत्ति संख्या: बी. सम्पत्ति का क्षेत्रफल:
(a) Property No. : (b) Area of Property (Sq. mts)
- सी. योजना एवं ब्लॉक/सेक्टर :
Name of the Colony & Sector
- नीलामी का विवरण :
Payment of the Plan adopted :
- नीलामी की तिथि:
Date of Auction
- जमा धरोहर राशि का विवरण
Details of earnest money deposited
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या दिनांक
G.D.A.'S Receipt No. Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के निवेदा द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया गया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझा लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपनेस्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित करा लूंगी/लूंगा।

I the undersigned being one of the applicants in the Tender, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by authority.

दिनांक
Dated :

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Bidder

प्रतिहस्ताक्षरित
Countersigned by
(नीलामी अधिकारी)
(Officer Conducting Auction)

पदनाम
On his / her/ own behalf/ on behalf of the applicant

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में (2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की) सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन-पत्र
Application Form for Allotment of Plots in various Schemes of GDA by Auction

(निविदा-आवेदन पत्र)

आवेदन पत्र संख्या :
Application Form No.

- आवेदक का नाम:
Name of the Applicant (in Block Letters)
- पिता/पति का नाम:
Father/Husband Name:
- उम्र:
Age :
- पूरा पता:
Full Address:
ए. स्थायी पता:
(a) Permanent Address :
बी. पत्र-व्यवहार का पता:
(b) Correspondence Address
सी. टेली फोन नं०: मोबाईल नं० : ई-मेल :
Telephone No. : Mobile No. : E-mail :
- व्यवसाय :
Occupation :

राजपत्रित
अधिकारी/नोदरी
पब्लिक द्वारा
सत्यापित फोटो

Paste a passport size
photo attested by
Gazetted Officer/
Public Notary

आवेदित भूखण्ड का विवरण

Particulars of Property

- भूखण्ड संख्या:
Property No. :
- भूखण्ड का क्षेत्रफल:
Area of Property (Sq. mts)
- योजना एवं ब्लॉक/सेक्टर:
Name of the Colony & Block/Sector
- भुगतान प्लान का विकल्प (प्लान ए अथवा प्लान बी) :
Payment of the Plan adopted (Plan A or Plan B)
- सम्पत्ति क्रय करने हेतु ऑफर (रु/वर्ग मीटर) (अंको में) :
Offer of purchase of Property (₹/sq. mts.) (in words)
- धरोहर राशि रु. डी. डी./पे-आर्डर नं० दिनांक बैंक
Earnest Money DD/Pay Order No. Dated Bank

घोषणा

Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझा लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित करा लूँगी/लूँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by authority.

दिनांक
Dated :

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Bidder

प्रतिहस्ताक्षरित
Countersigned by
(प्रमारी अधिकारी व्यवसायिक)
Officer in-charge commercial

पदनाम
On his / her/ own behalf/ on behalf of the applicant